न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 06/2022
3. उनवान : 1. किशनलाल पुत्र मांगीलाल
   2. बनवारी पुत्र मांगीलाल
   3. रूडमल पुत्र मांगीलाल
   4. मोहनी देवी पुत्री मांगीलाल
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम मुण्डियागढ तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 15-04-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना अपीलांट्स की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित किया गया है कि राजस्व मुण्डियागढ पटवार हल्का मुण्डियागढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 345/13 स्थित है। जिसके बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक के आदेश दिनांक 30–07–2018 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 17–01–2019 को तस्दीक किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने बिना किसी आदेश, बिना कोई आपत्ति प्रार्थनापत्र के उक्त नामान्तकरण 863 दिनांक 17–01–2019 को अपने रिव्यू आदेश दिनांक 04–02–2019 के माध्यम से खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने सहायक कलेक्टर सांभर लेक के आदेश के विरुद्ध अपील पेश नही कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। अपीलाण्ट को न तो नोटिस दिया, ना ही सुनवाई का मौका दिया, ना ही साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। आराजी जैर कृषि भूमि के पूर्व में अपीलान्ट के पूर्व ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी और उसके पश्चात् उक्त भूमि सवाई चक किये जाने से उक्त भूमि बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक के विचाराधीन होने पर न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक के आदेश दिनांक 30–07–2018 के आधार पर उक्त नामान्तकरण स्वंय तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया था परन्तु उक्त नामान्तकरण को स्वंय तहसीलदार द्वारा अपने रिव्यू आदेश के माध्यम से खारिज फरमा दिया। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि किसी भी कृषि भूमि का अन्तरण विधि द्वारा निहित

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

विधिक प्रक्रियों द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है। जब अपीलान्ट अपनी आराजी पर के.सी.सी बनवाने के लिये पटवारी हल्का से दिनांक 20/4/22 को सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त भूमि पर जो नामान्तकरण संख्या 863 दर्ज है, वह तहसीलदार द्वारा अपने रिव्यू आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। इस पर अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की नकले लेकर व अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील अन्दर मियाद पेश की गई।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जारी रिव्यू आदेश आदेश दिनांक 04–02–2019 को निरस्त किये जानें का आदेश पारित फरमाया जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 5, प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 96, स्थगन प्रार्थना पत्र, नामान्तकरण संख्या 863, 224, 225 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी संवत 2034–2037, जमाबंदी संवत 2075–2078, न्याया0 सहायक कलक्टर सांभरलेक के वाद सं0 116/16 निर्णय दिनांक 30/07/2018 की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने अपने पत्रांक 5062 दिनंक 18/10/2024 द्वारा जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मुण्डियागढ के खसरा नं0 345/13 रकबा 0.9990 हैक्टेयर किस्म सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मुण्डियागढ़ के नामान्तरकरण संख्या 204 दिनाक 16.08.1980 (बेचान) से खसरा नं० 13/3 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा से खातेदारी मांगीलाल पुत्र धन्नाराम हिस्सा 2/3 कोम जाट के नाम दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ के नामा0 संख्या 224 विभाजन दिनांक 01.06.1981 से खसरा नं० 13/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी मांगीलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट के नाम दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ़ के नामा0 संख्या 225 दिनांक 10.06.1981 (समर्पण) से खसरा नं० 13/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक लगाने दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ़ के नामा. संख्या 863 (डिक्री) दिनांक 17.01.2019 से खसरा नं० 345/13 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किशनलाल, बनवारीलाल, रूडमल, मोहनी देवी पिता मांगीलाल, झमरी देवी पत्नि मांगीलाल जाति जाट के नाम दर्ज हुआ, जिसको दिनाक 04.09.2019 को रिव्यू कर निरस्त किया गया तथा जांच के अनुसार उक्त भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी करना बताया गया।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर सांभरलेक के आदेश दिनांक 30–07–2018 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 17–01–2019 को तस्दीक किया गया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने बिना किसी आदेश, बिना कोई आपत्ति प्रार्थनापत्र के उक्त नामान्तकरण 863 दिनांक 17–01–2019 को अपने रिव्यू आदेश दिनांक 04–02–2019 के माध्यम से खारिज कर दिया। नियमानुसार तहसीलदार को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी

अतिरिक्त कलक्टर एवं

कारण के रिव्यू कर उक्त आदेश निरस्त कर दिया। अपीलाण्ट् को न तो नोटिस दिया, ना ही सुनवाई का मौका दिया, ना ही साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। विधि अनुसार किसी भी कृषि भूमि का अन्तरण विधि द्वारा निहित विधिक प्रक्रियों द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा के.सी.सी बनवाने के लिये पटवारी हल्का से दिनांक 20/4/22 को सम्पर्क करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। प्रकरण में अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार निहित हैं। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं गैर कानूनी होने के कारण मियाद का बिन्दू गौण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जारी रिव्यू आदेश आदेश दिनांक 04–02–2019 को निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम मुण्डियागढ़ के खसरा नं0 345/13 रकबा 0.9990 हैक्टेयर किस्म सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मुण्डियागढ़ के नामान्तरकरण संख्या 204 दिनाक 16.08.1980 (बेचान) से खसरा नं० 13/3 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा से खातेदारी मांगीलाल पुत्र धन्नाराम हिस्सा 2/3 कोम जाट के नाम दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ के नामा0 संख्या 224 विभाजन दिनांक 01.06.1981 से खसरा नं० 13/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा की खातेदारी मांगीलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट के नाम दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ़ के नामा0 संख्या 225 दिनांक 10.06.1981 (समर्पण) से खसरा नं० 13/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक लगाने दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ के नामा. संख्या 863 (डिक्री) दिनांक 17.01.2019 से खसरा नं० 345/13 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किशनलाल, बनवारीलाल, रूडमल, मोहनी देवी पिता मांगीलाल, झमरी देवी पत्नि मांगीलाल जाति जाट के नाम दर्ज हुआ, जिसको दिनाक 04.09.2019 को रिव्यू कर निरस्त किया गया तथा जांच के अनुसार उक्त भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के आदेशानुसार नामान्तकरण संख्या 225 दिनांक 10.06.1981 के द्वारा अपीलांट की आराजीयात को सिवायचक दर्ज कर ख0नं0 345/13 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा दर्ज कर दिया गया, को दुरुस्त किया जाकर ख0नं0 13/3/2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डियागढ तहसील किशनागढ रेनवाल का वादीगण/अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 30.07.2018 की पालना में नामान्तकरण संख्या 863 दिनांक 17.01.2019 स्वीकृत किया गया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने भी अपने जवाब अपील में अंकित किया है कि "ग्राम मुण्डियागढ के नामा0 संख्या 225 दिनांक 10.06.1981 (समर्पण) से खसरा नं० 13/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक लगाने दर्ज हुई। ग्राम मुण्डियागढ़ के नामा. संख्या 863 (डिक्री) दिनांक 17.01.2019 से खसरा नं० 345/13 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा किशनलाल, बनवारीलाल, रूडमल, मोहनी देवी पिता मांगीलाल, झमरी देवी पत्नि मांगीलाल जाति जाट के नाम दर्ज हुआ, जिसको दिनाक 04.09.2019 को रिव्यू कर निरस्त किया गया"

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

किशनलाल बनाम सरकार

06 / 2022

अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन रिव्यू आदेश में न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक द्वारा जारी डिक्री आदेश दिनांक 30.07.2018 के राज्यहित के विपरीत जारी होने का अंकन किया गया है। नामान्तकरण संख्यां 863 न्यायालय के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया था, यदि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को उक्त आदेश राज्यहित के विपरीत दृष्टिगत होता है तो नियमानुसार तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिए अथवा न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक में रिव्यू हेतु चाराजोही की जानी चाहिए थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं के स्तर पर रिव्यू कर न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2018 की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया तथा ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 225 निरस्त नहीं किए जाने के कारण हस्तगत नामान्तरण का रिव्यू निरस्त किया गया है, जबकि यह आदेश घोषणा के दावे में था। यदि पूर्व नामान्तरण की अपील होती तो नामान्तरण निरस्त किया जाना था। अतः तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जारी अपीलाधीन रिव्यू आदेश दिनांक 04.12.2019 विधि की मंशा के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा जारी रिव्यू आदेश 04.02.2019 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR